

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प.9(3)वित्त/कर/2020

जयपुर, दिनांक: 11.08.26

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा संख्या 180 (2) की अनुपालना में वाणिज्यिक कर विभाग में निम्नानुसार नवीन कार्यालयों के गठन/सृजन/समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. क्षेत्रीय संभाग (Territorial Zone)

कार्यालय उपायुक्त (प्रशासन), संभाग जयपुर-पंचम [(Office of Deputy Commissioner (Administration), Zone Jaipur-V)] का गठन किया जाता है।

2. नियमित वृत्त एवं घट (Regular Circles and Wards)

वाणिज्यिक कर विभाग में संभाग जयपुर-द्वितीय के वृत्त-आई तथा संभाग जयपुर-चतुर्थ के वृत्त-ए को विभाजित कर 2 नवीन वृत्त कार्यालयों का गठन किया जाता है।

3. संभागीय बिजनेस ऑडिट वृत्तों (Zonal Business Audit Circles)

नवसृजित जयपुर संभाग-पंचम में 2 नए बिजनेस ऑडिट वृत्त कार्यालयों का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

- (I) कार्यालय बिजनेस ऑडिट वृत्त-प्रथम, संभाग जयपुर-पंचम
- (II) कार्यालय बिजनेस ऑडिट वृत्त-द्वितीय, संभाग जयपुर-पंचम

4. कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त, बिजनेस ऑडिट, जोधपुर (Office of Additional Commissioner, Business Audit, Jodhpur)

कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त, बिजनेस ऑडिट, जोधपुर (Office of Additional Commissioner, Business Audit, Jodhpur) का गठन किया जाता है।

5. बिजनेस ऑडिट शाखा, राजस्थान (Business Audit Wings, Rajasthan)

बिजनेस ऑडिट शाखा, राजस्थान (Office of Business Audit Wing, Rajasthan) के अन्तर्गत कार्यालयों का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- (I) कार्यालय उपायुक्त, बिजनेस ऑडिट शाखा-प्रथम, राजस्थान, जोधपुर (Office of Deputy Commissioner, Business Audit Wing-I, Rajasthan, Jodhpur)
- (II) कार्यालय उपायुक्त, बिजनेस ऑडिट शाखा-द्वितीय, राजस्थान, जोधपुर (Office of Deputy Commissioner, Business Audit Wing-II, Rajasthan, Jodhpur)

(W)

- (III) कार्यालय उपायुक्त, बिजनेस ऑडिट शाखा—तृतीय, राजस्थान, जोधपुर
(Office of Deputy Commissioner, Business Audit Wing-III, Rajasthan, Jodhpur)
- (IV) कार्यालय उपायुक्त, बिजनेस ऑडिट शाखा—प्रथम, राजस्थान, उदयपुर
(Office of Deputy Commissioner, Business Audit Wing-I, Rajasthan, Udaipur)
- (V) कार्यालय उपायुक्त, बिजनेस ऑडिट शाखा—द्वितीय, राजस्थान, उदयपुर
(Office of Deputy Commissioner, Business Audit Wing-II, Rajasthan, Udaipur)
- (VI) कार्यालय उपायुक्त, बिजनेस ऑडिट शाखा—तृतीय, राजस्थान, उदयपुर
(Office of Deputy Commissioner, Business Audit Wing-III, Rajasthan, Udaipur)

प्रत्येक नवसृजित बिजनेस ऑडिट शाखा में 3 वृत्तों का गठन किया जाता है।

6. अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Authorities)

वाणिज्यिक कर विभाग में 3 नवीन अपीलीय प्राधिकारी कार्यालयों का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- (I) कार्यालय अपीलीय प्राधिकारी जयपुर—चतुर्थ (Office of Appellate Authority, Jaipur-IV)
- (II) कार्यालय अपीलीय प्राधिकारी जयपुर—पंचम (Office of Appellate Authority, Jaipur-V)
- (III) कार्यालय अपीलीय प्राधिकारी, भीलवाड़ा (Office of Appellate Authority, Bhilwara)

7. वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GST Appellate Tribunal)

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GST Appellate Tribunal) की State Bench, Jaipur तथा Area Bench, Jodhpur में निम्नानुसार उपायुक्त कार्यालयों का गठन किया जाता है:-

- (I) कार्यालय उपायुक्त—प्रथम, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, जयपुर
(Office of Deputy Commissioner-I, GST Appellate Tribunal), State Bench, Jaipur
- (II) कार्यालय उपायुक्त—द्वितीय, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, जयपुर
(Office of Deputy Commissioner-II, GST Appellate Tribunal), State Bench, Jaipur
- (III) कार्यालय उपायुक्त—प्रथम, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, जोधपुर
(Office of Deputy Commissioner-I, GST Appellate Tribunal), Area Bench, Jodhpur

2

(IV) कार्यालय उपायुक्त-द्वितीय, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, जोधपुर
(Office of Deputy Commissioner-II, GST Appellate Tribunal), Area
Bench, Jodhpur

8. विशेष वृत्त वैट (Special Circle VAT)

कार्यालय विशेष वृत्त वैट (Special Circle VAT), Jaipur का गठन किया जाता है।

9. एक्स कैडर (Ex-Cadre)

वाणिज्यिक कर विभाग के एक्स कैडर (Ex-Cadre) पदों का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Existing Strength				New Sanctioned Strength		
Name of Department	DC	AC/CTO	ACTO	DC	AC/CTO	ACTO
RIICO	1	2	0	0	1	0
Bhiwadi Integrated Development Authority	1	0	0	0	1	0
JVVNL, Jaipur	1	2	0	1	0	0
JdVVNL, Jodhpur	1	2	0	0	1	0
AVVNL, Jaipur	1	2	0	0	1	0
Mining	1	7	0	1	2	0
JDA, Jaipur	1	0	0	0	0	0
JDA, Jodhpur	1	0	0	0	0	0
Bureau of Investment Promotion (BIP)	1	2	4	0	1	0
COERRA	1	0	2	1	1	2
Rajasthan State Power Finance Cooperation	1	2	0	0	0	0
RSBCL	0	1	0	0	1	0
RSGSM	0	1	0	0	1	0
RVPNL	0	1	0	0	0	0
RVUNL	0	1	0	0	0	0
RREC	0	1	0	0	0	0
PWD	0	3	0	0	1	0
PHED	0	3	0	0	1	0
WRD	0	3	0	0	1	0
Ajmer Development Authority	0	1	0	0	1	0
RHB	0	1	0	0	0	0
Agriculture Department (Agriculture Marketing)	0	0	0	0	1	1
TOTAL	11	35	6	3	15	3

W

नोट:- कृषि विभाग में पदों का सृजन 2 वर्ष के लिए किया जाता है। 2 वर्ष पश्चात् उक्त पदों की उपयोगिता/सार्थकता की समीक्षा की जायेगी।

10. राजस्थान राज्य कर अकादमी, जयपुर (State Tax Academy of Rajasthan, Jaipur)

राजस्थान राज्य कर अकादमी, जयपुर (State Tax Academy of Rajasthan, Jaipur) को तथा उसमें स्वीकृत पदों को समाप्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में राजस्थान राज्य कर अकादमी, जयपुर में सृजित विभिन्न कुल 8 पदों को समाप्त कर विभाग द्वारा जारी पुनर्गठन आदेश दिनांक 24.06.2026 में समायोजित कर लिया गया है।

वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर सेवा एवं वाणिज्यिक अधीनस्थ कर सेवा संवर्ग के स्वीकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार रहेगी:-

S.No.	Designation of Post	Pay Matrix-Level	Current Strength	Revised Strength
A-Rajasthan Commercial Taxes Services				
1.	Additional Commissioner	L-21	22	22
2.	Deputy Commissioner	L-19	51	52
3.	Assistant Commissioner	L-16	109	111
4.	Commercial Taxes Officer	L-15	164	166
5.	Assistant Commercial Taxes Officer	L-12	431	462
	Total		777	813
B-Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Services				
1.	Junior Commercial Taxes Officer	L-10	542	563
2.	Tax Assistant	L-08	610	653
	Total		1152	1216
	Grand Total		1929	2029

यह आदेश वित्त (व्यय) विभाग की आई.डी. संख्या 232500337 दिनांक 10.08.2026 में अंकित निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है:-

- विभाग द्वारा पुर्नगठित पदों का बजट मदवार वर्गीकरण स्वयं के स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- विभाग द्वारा प्रस्तावित पदों के सृजन/समाप्ति आदेश के संबंध में प्रावधित प्रक्रियाओं/नियमों की पालना तथा पदों के सृजन/पद समाप्ति आदेश के अनुरूप बजट मदवार IFMS पर अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- To give effect to the above re-structuring, statutory orders will be issued separately by competent authority for re-determination of cadre strength RCTS and RCTS (Subordinate), allocation of different posts at various levels and in offices, re-defining the boundaries of zones, circles and wards, abolition of STAR and re-allocation/transfer of files.

(w)

4. विभाग को नवसृजित कार्यालयों हेतु आवश्यक बजट प्रावधान के लिये वांछित प्रस्ताव यथासमय/संशोधित अनुमानों के समय प्रस्ताव प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है।
5. विभाग को इस संबंध में अन्य आवश्यक कार्यवाही यथा IFMS पर मैपिंग आदि अपने स्तर पर किये जाने का परामर्श दिया जाता है।
6. विभाग को पुर्नगठन के फलस्वरूप समाप्त किये जाने वाले कार्यालयों के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर किये जाने का परामर्श दिया जाता है।
7. विभाग द्वारा एक्स कैडर (Ex-Cadre*) पदों में कृषि विभाग में पदों का सृजन 2 वर्ष के लिए किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः 2 वर्ष पश्चात् उक्त पदों की उपयोगिता/सार्थकता की समीक्षा की जायेगी।

यह आदेश दिनांक 24.06.2026 से प्रभावी होंगे। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उक्त संबंध में यथा आवश्यक वैधानिक आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
7. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट)।
9. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
10. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।



11.08.26

विशिष्ट शासन सचिव